परिपत्र संख्या:- 20/2019

फा. सं. 711/12/2011 - आयुक्त (अन्वेषण- सीमाशुल्क)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(अन्वेषण- सीमाशुल्क)

*****

नई दिल्ली, दिनांक: 19.07.2019

सेवा में,

सीमाशुल्क/सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय कर/सीमाशुल्क (निवारक) के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त

प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशक,

महोदया/महोदय,

विषय: सीमाशुल्क द्वारा ज़ब्त म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) के निपटान के लिए दिशानिर्देश के बारे में।

मुझे म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) के निपटान के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सीमाशुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा डीआरआई ने म्यूरेट ऑफ पोटाश (मानक तथा गैर-मानक) की कई ऐसी खेपें ज़ब्त की हैं, जिन्हें विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्यात करने का प्रयास किया जा रहा था। क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस संबंध में किसी भी दिशा-निर्देश के अभाव में पकड़े/ ज़ब्त किए गए म्यूरेट ऑफ पोटाश के निपटान में उनके द्वारा सामना की जाने वाली कुछ कठिनाइयों पर बोर्ड का ध्यान आकर्षित किया है।

2. बोर्ड ने, उर्वरक विभाग (डीओएफ) और कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी) से परामर्श करने के बाद, म्यूरेट ऑफ पोटाश के निपटान के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है:

i) क्षेत्रीय कार्यालय, पकड़े/ ज़ब्त किए गए म्यूरेट ऑफ पोटाश के स्टॉक का, यह पता लगाने के लिए कि यह मानक ग्रेड का उर्वरक है या गैर-मानक ग्रेड का उर्वरक, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसीटीआई), फरीदाबाद और उसके 3 क्षेत्रीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं-- चेन्नई, कल्याणी जिला नादिया (पश्चिम बंगाल) और नवी मुंबई-- के उर्वरक निरीक्षक से निरीक्षण करा सकते हैं। उनके संपर्क के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(a) निदेशक, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण इंस्टीच्यूट, एनएच IV, फरीदाबाद, हरियाणा (फोन नं. 0129-2414712, ई-मेल: cfqcti@nic.in)

(b) उप निदेशक, क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, पीबी माधवराम मिल्क कॉलोनी, चेन्नई 600 051, तमिलनाडु (फोन नं. 044-25552744, ई-मेल: fqcttn01@nic.in)

(c) उप निदेशक, क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, प्लॉट न. 28-29, सेक्टर 24, तुर्भे, नवी मुम्बई- 400 703 (फोन नं. 022-27838425, ई-मेल: rfclnavimumbai@gmail.com)

(d) उप निदेशक, क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, बीसीकेवी कैंपस, पोस्ट ऑफिस कल्याणी - 741235, जिला नादिया (पं. बंगाल) (फोन नं. 033-25829291, ई-मेल: rfclkalyani@gmail.com)

ii) वैकल्पिक रूप से, क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों से भी स्टॉक का निरीक्षण करा सकते हैं। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार के आयुक्त / कृषि निदेशक से संपर्क किया जा सकता है।

iii) मानक उर्वरक ग्रेड के म्यूरेट ऑफ पोटाश को एमएसटीसी या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी के जरिए ई-नीलामी के माध्यम से निपटाया जा सकता है; इस तरह की ई-नीलामी को कृषि / बागवानी से संबंधित उर्वरक निर्माताओं, मिश्रण निर्माताओं और अनुसंधान संस्थानों तक सीमित रखा जाएगा।

iv) उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के खंड 23 के संदर्भ में, गैर-मानक ग्रेड का म्यूरेट ऑफ पोटाश केवल उर्वरक मिश्रण निर्माताओं को बेचा जाएगा, जो इसका उर्वरक के एनपीके मिश्रण के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एफसीओ 1985 के तहत औद्योगिक इकाइयों को गैर-मानक उर्वरक का निपटान करना स्वीकार्य नहीं है;

v) उर्वरक निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों तथा मिक्सचर निर्माताओं को म्यूरेट ऑफ पोटाश की उपलब्धता के बारे में सूचित करने और नीलामी में भाग लेने का अनुरोध करने के लिए कार्यालय उन तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। ई-नीलामी में पर्याप्त प्रतिक्रिया न मिलने की स्थिति में, भौतिक निविदा पद्धति का सहारा लिया जा सकता है।

vi) नीलामी नोटिस और अंतिम निपटान आदेश की एक प्रतिलिपि डीओएफ और डीएसी को निम्नलिखित पते पर दी जानी चाहिए:

(a) निदेशक / अवर सचिव, उर्वरक विभाग (डीओएफ), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001;

(b) निदेशक / अवर सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आईएनएम डिवीजन, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001।

vii) जो निपटान के लिए परिपक्व म्यूरेट ऑफ पोटाश के स्टॉक हों, उनके निपटान से पहले, क्षेत्रीय कार्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी एजेंसी से कोई समानांतर जांच लंबित न हो (सब्सिडी के संबंध में जांच सहित)।

3. प्रधान मुख्य आयुक्तों/ मुख्य आयुक्तों और प्रधान महानिदेशकों/ महानिदेशकों से एतद द्वारा, उनके प्रभाराधीन सभी कार्यालयों को इन दिशा-निर्देशों को परिचालित करने का अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के कार्यान्वन में कठिनाइयाँ, यदि कोई हों तो, बोर्ड के ध्यान में लाई जा सकती हैं।

भवदीय,

रंजना
19.7.2019

सहायक आयुक्त (अन्वेषण - सीमाशुल्क)

सीबीआईसी, नई दिल्ली